संख्या:91/2022/1825/छप्पन-2022-18/2002 टी.सी.

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 12 दिसम्बर, 2022

विषय: निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट मुरादाबाद के संचालन हेतु कैपिटल (पूँजीगत) कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-187/आर0सी0एस0/यू0पी0आर0एन0एन0/-2022-एम- 2/2018 दिनांक 23 नवम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट मुरादाबाद के संचालन हेतु कैपिटल कार्यों के लिए जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए राजकीय निर्माण निगम के आगणन लागत रू0 191.66 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 157.97 लाख के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट मुरादाबाद के विकास कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2245.19 लाख में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कैपिटल कार्यों हेतु मूल्यांकित लागत रू0 157.97 लाख को सम्मिलित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2403.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कैपिटल कार्यों की मूल्यांकित लागत रू0 157.97 लाख में से 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 7.898 लाख को रोकते हुए रू0 150.072 लाख (रूपए एक करोड़ पचास लाख सात हजार दो सौ मात्र) वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

3- शासनादेश संख्या-15/2021/219/छप्पन-2021-18/2002 टी.सी. दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु रू0 2245.19 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 2057.301 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसका उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा चुका है।

4- प्रायोजनान्तर्गत आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 इत्यादि की धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी है। इसकी आवश्यकता, औचित्य, स्पेसीफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट मुरादाबाद के विकास कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2245.19 लाख में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कैपिटल कार्यों हेतु मूल्यांकित लागत रू0 157.97 लाख को सम्मिलित करते हुए परियोजना की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित लागत रू0 2403.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कैपिटल कार्यों की मूल्यांकित लागत रू0 157.97 लाख में से 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 7.898 लाख को रोकते हुए रू0 150.072 लाख (रूपए एक करोड़ पचास लाख सात हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
II. वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
III. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।
V. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
VI. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
VII. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
VIII. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।
IX. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
X. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।
XI. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
XII. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
XIII. प्रायोजना का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
XIV. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

XV. प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर को पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

XVI. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

XVII. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7-182/दस-2022-23, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्याः 91/2022/1825(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुरादाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।